

To kind At. Mr. Vasu.

0141-2564392

153

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

क्रमांक :- प्र०(१) कार्मिक / नि.चि. / ३१/०६/१३१

दिनांक :- १४/७/०८

कार्यालय—आदेश

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड चिकित्सा पिण्डियम १९७० के अन्तर्गत हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा आई.पी.डी. विल्स पर १० प्रतिशत की छूट देय है।

१. सोनी हास्पिटल, ३८ कानोता बाग, जयपुर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-०४
२. एस.के.सोनी हास्पिटल, सेक्टर ५, विद्याधर नगर, जयपुर-१३

उक्त आदेश को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अधिग्रहण कार्यवाही हेतु :-

- प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/आमा.आयुक्त/मुख्य अभियंता राज०आ०मण्डल,जयपुर।
- ब०नि०स०-सचिव/गि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज०आ०मण्डल,जयपुर।
- अति० मुख्य अभियंता राज०आ०मण्डल,जयपुर/जौधपुर।
- उप आवासन आयुक्त वृत्ति रा०आ०म०
- आवासीय अभियंता खण्ड रा०आ०म०
- सोनी हास्पिटल, ३८ कानोता बाग, जयपुर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-०४
- एस.के.सोनी हास्पिटल, सेक्टर ५, विद्याधर नगर, जयपुर-१३
- समरत प्रकोष्ठ मुख्यालय राज०आ०मण्डल,जयपुर।
- मोटिस बोर्ड / रशित पनागली

सचिव